हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2016 की प्रथम नियमित बैठक की कार्यवाही, जो दिनांक 27 जनवरी, 2016 को दोपहर 12—00 बजे आचार्य ए0डी0एन0 बाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :—

1— आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान, प्रति कुलपति
2— डॉ0 राकेश कुमार, सचिव (शिक्षा)
3— आचार्य एम0एस0 चौहान, अधिष्ठाता, भौतिक विज्ञान संकाय
4— आचार्य हिम चटर्जी, अधिष्ठाता प्रदर्शन एवं दृश्य कलाएं संकाय
5— श्री देवी राम वर्मा, प्रतिनिधि गैर—शिक्षक कर्मचारी
6— श्री हरीश जनारथा, नामिती माननीय कुलाधिपति
7— डॉ0 अनुराग शर्मा, सह—आचार्य
8— डॉ0 पंकज ललित —कुलसचिव
सदस्य—सचिव

मद संख्या—1: कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

......

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की *वर्ष 2016 की प्रथम नियमित बैठक* में कुलपति जी ने सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया एवम् नूतन वर्ष—2016 की हार्दिक शुभकामनाएँ दी।

उन्होंने परिषद् को अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय में पिछले चार वर्षों से आरम्भ हुए नवाचारों में एक और अध्याय आरम्भ हुआ जो कि नववर्ष के शुभारम्भ के अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में प्रातः 6:00 बजे से 7:00 बजे तक मंगलाचरण संगीत ध्वनि से हुआ है। इस मंगलाचरण ध्वनि से सम्पूर्ण वातावरण गुंजायमान हो रहा है।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2016 का विश्वविद्यालय का कैलेण्डर प्रकाशित किया गया है। इसमें विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, प्रशासनिक और अन्य गतिविधियों का सचित्र विवरण दिया गया है। विश्वविद्यालय में यह गतिविधियां पिछले चार वर्षों के दौरान की गई हैं।

कुलपति जी ने परिषद् को सूचित किया कि दिनांक 31 दिसम्बर 2015 को गैर शिक्षक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के अवसर पर आयोजित विदाई समारोह के दौरान मुक्त मंच (Open House) की स्थापना की घोषणा की गई। इस मंच के आयोजन के दौरान सेवानिवृत्त प्राध्यापकगण, अधिकारी एवं कर्मचारीगण विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिए शालीनतापूर्वक अपने अमूल्य सुझाव/विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।

उन्होंने कार्यकारिणी परिषद् के निवर्तमान सदस्य आचार्य पी.एन. बन्सल, संगीत विभाग का धन्यवाद किया तथा आचार्य हिम चैटर्जी, दृश्य कला विभाग का नए सदस्य के रूप में स्वागत किया।

कुलपति महोदय ने परिषद् ने सूचित किया कि इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईः–

1. दिनांक 2–4 दिसम्बर, 2015 तक मैंने राष्ट्रमण्डल विश्वविद्यालय संघ (Association of Commonwealth Universities) की परिषद् के सदस्य के रूप लंदन में आयोजित बैठक में भाग लिया। इस दौरान मैंने कैम्बरेज़ विश्वविद्यालय, लंदन में एक व्याख्यान भी दिया।

2. दिनांक 12.12.2015 को विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास केन्द्र में रसायन विषय पर आयोजित पुनश्चर्या कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

3. दिनांक 14.12.2015 को विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास केन्द्र में मानव मूल्य विषय पर आयोजित अल्पकालिक कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

4. दिनांक 14.12.2015 को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में वित्त समिति की वर्ष 2015 की बैठक आयोजित की गई।

5. दिनांक 18.12.2015 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सभागर में जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र द्वारा आयोजित ''राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4'' विषय पर आधारित उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की।

6. दिनांक 19.12.015 को विधि विभाग एवं हिमाचल प्रदेश विधि शैक्षिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आचार्य ओ.पी.चौहान ''आध्यात्म एवं न्याय'' प्रथम स्मृति व्याख्यान दिया।

7. दिनांक 19.12.2015 को विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास केन्द्र में मानव मूल्य विषय पर आयोजित अल्पकालिक कार्यक्रम के समापन समारोह की अध्यक्षता की।

8. दिनांक 28.12.2015 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सोलन जिला में स्थित एक जैविक कम्पनी से शैक्षणिक आदान–प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

9. दिनांक 02.01.2016 को रौटरी हॉल, शिमला में लोक प्रशासन दिवस आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

10. दिनांक 11.01.2016 को सरस्वती विद्या मंदिर में संस्कृत भारती द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी मुख्य अतिथि के रूप में व्याख्यान दिया।

11. दिनांक 12.01.2016 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समिति कक्ष में स्वामी विवेकानन्द के 153वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ''स्वामी विवेकानन्द की शिक्षाओं की प्रासंगिकता'' विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई।

12. दिनांक 26.01.2016 को विश्वविद्यालय परिसर में 67वें गणतन्त्र दिवस के शुभ अवसर पर ध्वजारोहण कर विश्वविद्यालय समुदाय को सम्बोधित किया।

अब मैं कुलसचिव से आग्रह करता हूं कि वे आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।

<u>**मद संख्या–2:**</u> कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठकों दिनांक 14–8–2015, 31–8–2015, 17–10–2015 व 30–11–2015 की कार्यवाही का पुष्टिकरण।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने दिनांक 14–8–2015, 31–8–2015, 17–10–2015 व 30–11–2015 को हुई बैठकों की कार्यवाही का पुष्टिकरण किया।

<u>**मद संख्या–3:**</u> कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठकों दिनांक 14–8–2015, 31–8–2015, 17–10–2015 व 30–11–2015 में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने दिनांक 14–8–2015, 31–8–2015, 17–10–2015 व 30–11–2015 को हुई बैठकों में लिये गये निर्णयों का निम्नलिखित <u>टिप्पणी / संशोधन</u> के साथ अनुमोदन किया:–

<u>**बैठक दिनांक 14–08–22015**</u>

<u>**मद संख्या–7(12):**</u> सदस्य श्री देवी राम ने कहा कि उन्होंने कार्यकारिणी परिषद् की दिनांक 14–8–2015 को हुई बैठक में व्यस्क शिक्षा प्रोजैक्ट (अब आजीवन शिक्षा विभाग) में कार्यरत श्री हेमन्त कुमार, अधीक्षक व श्रीमती राधा शर्मा, अधीक्षक(निः संवर्ग) जिन्हें

कार्यकारिणी परिषद् के निर्णयानुसार एवं माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशानुसार विश्वविद्यालय की मुख्य धारा में सम्मिलित किया गया था, को निःसंवर्ग रखने का मामला उठाया था ताकि उनके विश्वविद्यालय की मुख्य धारा में सम्मिलित होने से दूसरे कर्मचारियों की वरिष्ठता प्रभावित न हो । लेकिन इस बारे अभी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। अतः उक्त कर्मचारियों को विश्वविद्यालय की मुख्य धारा में शामिल न करके इन्हें निःसंवर्ग रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई यथाशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाये। इस पर कार्यकारिणी परिषद् को अवगत करवाया गया कि मामला अभी प्रक्रिया में है।

मद संख्या–19(पैरा–2): सदस्य श्री देवी राम वर्मा ने कहा कि रूसा प्रणाली पर विचार करने के लिए माननीय प्रति कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक यथाशीघ्र आयोजित की जाये। जिस पर प्रति कुलपति महोदय ने परिषद् को अवगत कराया कि महाविद्यालयों के प्राध्यापक भी इस समिति के सदस्य हैं, और महाविद्यालयों में शीतकालीन अवकाश समाप्त होने के उपरान्त उपरोक्त समिति की बैठक आयोजित करवाई जायेगी।

यथा–स्थान मदः कार्यकारिणी परिषद् ने एम.फिल. छात्रों को जो निर्धारित समयावधि में अपना शोध कार्य पूर्ण नहीं कर पाते हैं को छात्रावासों में ठहरने की सुविधा को तीन महीने बढ़ाने बारे लिये गये निर्णय पर स्पष्टीकरण देते हुए यह निर्णय लिया कि उक्त छात्रों को छात्रावासों में ठहरने के लिए बढ़ाई गई समयावधि भविष्य के लिए भी जारी रहेगी।

बैठक दिनांक 30–11–2015

यथा–स्थान की गई चर्चा(पैरा–1): सदस्य श्री देवी राम वर्मा ने कहा कि रूसा–प्रणाली पर विस्तृत चर्चा करने के लिए कार्यकारिणी परिषद् की विशेष बैठक फरवरी माह में आयोजित की जाये जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने अपनी सहमति व्यक्त की।

मद संख्या–4: माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12–C(7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बी.एड. से सम्बन्धित मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12–C(7) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत दिसम्बर, 2015 बी.एड. कोर्स के द्वितीय समैस्टर में दिये गये प्रवेश

और कुछ निजी विश्वविद्यालयों में बी.एड. परीक्षाएं वार्षिक पद्धति पर करवाने हेतु प्रदान किये गये विकल्प बारे लिये गये निर्णय को नोट कर अनुमोदित किया। परिषद् को यह भी जानकारी दी गई कि सरकार द्वारा दिनांक 6–11–2015 को विश्वविद्यालय को भेजे गए निर्णय के दृष्टिगत यह व्यवस्था केवल वर्ष 2015–2016 के लिए लागू होगी। बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि बी0एड0 महाविद्यालयों के निरीक्षणों की प्रणाली में सुधार कर उसे सुदृढ़ किया जाए ताकि प्रदेश में बी0एड0 स्नातकों की गुणवत्ता बेहतर हो सके। परिषद् ने भी निर्णय लिया कि भविष्य में बी0एड0 परीक्षा प्रणाली में एक ही पद्धति को लागू किया जाये।

मद संख्या–5: कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त हुई है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों से निर्धारित समय अवधि के भीतर कोई मद प्राप्त नहीं हुई है।

मद संख्या–6: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष परीक्षा नियंत्रक के पद हेतु आयोजित साक्षात्कार में चयन समिति की सिफारिशें प्रस्तुत करने बारे।

......

सभापति ने चयन समिति की सिफारिशों को परिषद् में पढ़ कर सुनाया। सिफारिशें निम्न प्रकार से हैं:–

परीक्षा नियंत्रक

चयन समिति ने निम्नलिखित उम्मीदवार की परीक्षा नियत्रंक के पद पर नियुक्ति हेतु सिफारिश की:–

i) डा. जोगिन्द्र सिंह नेगी पुत्र श्री बी.एल. नेगी

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों का अनुमोदन किया।

मद संख्या–7: माननीय कुलपति महोदय द्वारा एन0बी0एच0-I,II व III और नवनिर्मित कन्या छात्रावास के नामकरण हेतु गठित समिति द्वारा उपरोक्त छात्रावासों के लिए प्रस्तावित नामावलि कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने एन0बी0एच0-I,II व III और नवनिर्मित कन्या छात्रावास के नामकरण हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तावित छात्रावासों की निम्नलिखित नामावली परिवर्तन को अपनी स्वीकृति प्रदान कीः

1– एन0बीएच0– I	–विपाशा कन्या छात्रावास
2– एन0बी0एच0-II	–इरावती कन्या छात्रावास
3– एन0बी0एच0-III	–गिरीगंगा कन्या छात्रावास
4– नवनिर्मित छात्रावास	–विद्योत्तमा कन्या छात्रावास

<u>मद संख्या–8:</u> Ph.D. Course Work को दर्शन निष्णांत (M.Phil)के समकक्ष मानने हेतु कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष निर्णय हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने Ph.D. Course Work को दर्शन निष्णांत (M.Phil) के समकक्ष मानने के मामले को शैक्षणिक मामला मानते हुए इसे शैक्षणिक परिषद् को प्रेषित करने का निर्णय लिया। कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में सभी शैक्षणिक मामले शैक्षणिक परिषद् की सिफारिशों के साथ इस परिषद् के समक्ष रखे जायें तथा इस प्रकार के मामलों में निर्णय नीतिगत होने चाहिए न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए।

<u>मद संख्या–9:</u>विश्वविद्यालय में सुदृढ़ तबादला नीति बनाने हेतु गठित की गई समिति द्वारा 14–07–2014 व 16–04–2015 को सौंपी गई सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय में सुदृढ़ तबादला नीति बनाने हेतु गठित समिति की दिनांक 16–04–2015 को हुई बैठक की सिफारिशों को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया तथा इसे तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय में लागू करने का निर्णय लिया। परिषद् ने तबादला नीति के क्रम संख्या–12 में संशोधन कर यह भी निर्णय लिया कि संलग्नक नियमों में यदि कोई बिन्दु समाविष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में कुलपति जी को विशेष परिस्थिति में कुलसचिव की अनुशंसा पर इन नियमों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

मद संख्या–10: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष शिक्षकों की भर्ती के लिए बनाये गए मानदंड/दिशा–निर्देश में संशोधन हेतु।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने माननीय कुलपति महोदय द्वारा शिक्षा में गुणवता बनाये रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकों व अन्य शैक्षणिक वर्ग की नियुक्ति के लिए जारी विनियम, 2010 जिसे विश्वविद्यालय में अपनाकर लागू किया गया है और सह–आचार्यों व आचार्यों के पदों के लिए Academic Performance Indicator(API) के मामले का परीक्षण करने के लिए अधिसूचना संख्या:3–2/2014–हि0प्र0वि0(भर्ती) दिनांक 11–9–2015 के तहत गठित समिति की सिफारिशों दिनांक 12-9-2015 को मध्यनजर रखते हुए शिक्षकों की भर्ती के साक्षात्कार के लिए अधिसूचना संख्या:3–29/94–हि0प्र0वि0(सा0)भाग–3 दिनांक 30–7–2007 के अंतर्गत अधिसूचित नीति एवं नियमों के नियम–5 के उप–नियम (ii), (iii) & (iv) का प्रावधान केवल सहायक आचार्यों के लिए सीमित रखते हुए तथा नियम 7 को निम्न प्रकार से संशोधित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की:–

Existing Provision	**Proposed Amendment**
The above process shall be followed for direct recruitment to the post(s) of Lecturers and Readers only. For the posts of Professors all eligible candidates shall be called for an interview.	The above process shall be followed for direct recruitment to the post(s) of Assistant Professor(s) only. In case of direct recruitment to the post(s) of Associate Professor and Professor all eligible candidates be invited for interview, even if there is a single eligible candidate available for one or more post(s).

मद संख्या–11: श्री रजनीश कुमार, कनिष्ठ सहायक के असाधारण अवकाश (बिना वेतन)को दिनांक 5–7–2015 से चतुर्थ वर्ष के लिए बढ़ाने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ रखने बारे।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने अध्यादेश 36.1 (b) के अनुरूप श्री रजनीश कुमार, कनिष्ठ सहायक के असाधारण अवकाश (बिना वेतन)को दिनांक 5–7–2015 से चतुर्थ वर्ष के लिए बढ़ाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–12: कार्यकारिणी परिषद् में स्वीकृति हेतु प्रस्तुतः विश्वविद्यालय में वाणिज्य स्नातक (प्रवीण) वाणिज्य स्नातक विषय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए "भारतीय चार्टरड एकाउटेंटस संस्थान स्वर्ण पदक" (Institute of Chartered Accountants of India Gold Medal) प्रारम्भ करने हेतु।

......

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय की वाणिज्य स्नातक(प्रवीण)/वाणिज्य स्नातक विषय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को "भारतीय चार्टरड एकाउटैंटस संस्थान स्वर्ण पदक" (Institute of Chartered Accountants of India Gold Medal) प्रारम्भ करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–13: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय व्यवसायिक अध्ययन महाविद्यालय में दिनांक 23–8–2014 को कम्प्यूटर तकनीकी सहायक के पद के लिए आयोजित साक्षात्कार की नियुक्ति प्रक्रिया नियमों के अनुसार निर्धारित एक वर्ष की समय अवधि में पूर्ण न हो पाने के कारण समय में छूट देते हुए चयन समिति द्वारा बनाये गये पैनल से इस पद पर नियुक्ति देने बारे मामला परिषद् के अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय व्यवसायिक अध्ययन महाविद्यालय में कम्प्यूटर तकनीकी सहायक के पद के लिए दिनांक 23–8–2014 को आयोजित साक्षात्कार के लिए निर्धारित एक वर्ष की समय अवधि में छूट देने के लिए चयन समिति द्वारा बनाये गये पैनल से इस पद पर नियुक्ति देने से पूर्व कानूनी सलाह लेने का निर्णय लिया।

मद संख्या–14: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में निर्माण मण्डल के रख–रखाव मण्डल संख्या–2 में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता श्री अशोक कुमार राणा को लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश के अनुरूप प्राकलनों की तकनीकी स्वीकृति एवम् कार्य आवंटन की शक्तियों एवं चयनित अधिशासी अभियन्ता की वित्तीय शक्तियों (30.00 लाख) का प्रयोग करने बारे कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने बारे।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण के अवर सचिव द्वारा जारी अधिसूचना संख्याःPWD(A)BU/32/94 दिनांक 26–06–2006 जिसमें अधिशासी अभियन्ता को चयनित अधिशासी अभियन्ता की श्रृंखला में लाने के लिए सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता का 12 वर्ष का सेवाकाल जिसमें अधिशासी अभियन्ता के रूप में 3 वर्ष का कार्यकाल अनिवार्य है पर विस्तार से चर्चा की और पाया कि श्री अशोक राणा, अधिशासी अभियन्ता, चयनित अभियन्ता की श्रृंखला में आने के लिए प्रदेश सरकार की उपरोक्त अधिसूचना में निर्धारित सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के 12 वर्ष के कार्यकाल और अधिशासी अभियन्ता के रूप में तीन वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण नहीं करते हैं। लेकिन निर्माण व रख–रखाव के लिए विभिन्न एजैंसियों व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त धन राशि को निश्चित समय अवधि के भीतर खर्च करने और विश्वविद्यालय के विकास को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी परिषद् ने प्रदेश सरकार की उपरोक्त अधिसूचना में निर्धारित

कार्यकाल में छूट देते हुए श्री अशोक राणा, अधिशासी अभियन्ता, रख–रखाव (Maintenance) मण्डल को चयनित अधिशासी अभियन्ता को प्रद्दत वित्तीय शक्तियां देने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–15: विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक व अन्य भवनों की साफ–सफाई के कार्यों के बाह्मकरण प्रस्ताव पर कार्यकारिणी परिषद् की दिनांक 10–7–2015 को लिये गये निर्णय के पुनर्विचार हेतु।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने सदस्य श्री देवी राम वर्मा, प्रधान चतुर्थ श्रेणी व तकनीकी वर्ग संघ व मै0 सुलभ इन्टरनैशनल, चण्डीगढ़ द्वारा सौंपे गये प्रतिवेदनों पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त मै0 विश्वविद्यालय सुलभ इन्टरनैशनल द्वारा साफ–सफाई की ठीक व्यवस्था को देखते हुए साफ–सफाई के पहले से वाह्यकरण किये गये भवनों के अतिरिक्त समिति द्वारा प्रस्तावित भवनों के साफ–सफाई का कार्य मै0 सुलभ इन्टरनैशनल, चण्डीगढ़ को वर्तमान में उनसे किए गए अनुबन्ध की शर्तों पर वाह्यकरण करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–16: 15 अगस्त (स्वतन्त्रता दिवस) एवं 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) को कार्यालय में सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् क समक्ष अवलोकनार्थ एवं ऐसे निर्णय हेतु जैसा परिषद् उचित समझे।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं गैर–शिक्षक कर्मचारियों की 15 अगस्त (स्वतन्त्रता दिवस) एवं 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) को ध्वजा रोहण कार्यक्रम में उपस्थिति अनिवार्य करने के मामले पर चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया कि उपरोक्त मामले में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व इसमें विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं गैर–शिक्षक कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन एवं उनसे चर्चा कर इनके सुझाव लिये जायें तथा मामले को पुनः अगली बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या–17: नई दिल्ली में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड 2016 में भाग लेने वाले एन.सी.सी. विद्यार्थियों को पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी अलग से विशेष सत्र परीक्षाएं आयोजित करवाई जाने हेतु लैफ्टिनैंट कर्नल, एन.सी.सी. समूह मुख्यालय से प्राप्त अनुरोध कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त यदि कोई एन.एस.एस. विद्यार्थियों को भी गणतंत्र दिवस परेड 2016 में भाग लेंगे उनको भी एन.सी.सी. के समकक्ष अवसर प्रदान करने की अनुमति हेतु मद प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने गणतंत्र दिवस परेड 2016 में भाग लेने वाले एन.सी.सी.विद्यार्थियों की दिनांक 26–01–2016 के उपरान्त विशेष सत्र परीक्षाएं शिमला में स्थापित परीक्षा केन्द्र में आयोजित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। परिषद् ने एन.एस.एस. के उन विद्यार्थियों को जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड 2016 में भाग लिया हो, उन्हें भी एन.सी.सी. के समकक्ष विशेष सत्र परीक्षाएं देने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया।

कार्यकारिणी परिषद् ने कहा कि वर्तमान में एन.सी.सी. व एन.एस.एस. को प्रदान किये जाने वाले जल–पान प्रभार व दैनिक भत्ता बहुत कम है अतः इन्हें प्रदान किये जाने वाले जल–पान प्रभार व दैनिक भत्ते में बढ़ौतरी के लिए अलग से मद तैयार कर इसे सम्बन्धित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

मद संख्या–18: नोर्थ जोन अन्तर–विश्वविद्यालय बॉस्केटबाल प्रतियोगिता में दो विद्यार्थियों के लिए अलग से विशेष सत्र परीक्षाएं आयोजित करवाई जाने हेतु प्राचाय राजकीय महाविद्यालय कुल्लू से प्राप्त अनुरोध कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने नोर्थ जोन अन्तर–विश्वविद्यालय बॉस्केलबाल प्रतियोगिता में भाग लेने बाले दो विद्यार्थियों के अतिरिक्त इस प्रकार की अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. के विद्यार्थियों के साथ शिमला में स्थापित परीक्षा केन्द्र में विशेष सत्र परीक्षाएं आयोजित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–19: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा दिनांक 29–10–2015 को पारित आदेश की अनुपालना में आचार्य, जीव विज्ञान विभाग में सीधी भर्ती हेतु आयोजित साक्षात्कार दिनांक 27–8–2012 में चयन समिति की सिफारिशें प्रस्तुत करने बारे।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना में जीव विज्ञान विभाग में आचार्य के पद पर सीधी भर्ती हेतु आयोजित साक्षात्कार के लिए आमन्त्रित अभ्यार्थियों की योग्यताओं की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर डॉ0 आनंद सागर तथा डॉ0 देश राज ठाकुर को तत्काल प्रभाव से आचार्य के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया। कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि डॉ0 आनंद सागर को आचार्य के पद पर नियुक्ति देने से पूर्व उनके प्रमाण–पत्रों की जांच कर ली जाए क्योंकि उनके भिन्न–भिन्न प्रमाण–पत्रों में भिन्न–भिन्न नाम दर्शाए गए हैं।

<u>मद संख्या–20:</u> विश्वविद्यालय परिसर में मंगलाचरण ध्वनि स्वर' संगीत के गायन एवं इसके प्रस्तावित नियम कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने बारे।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय परिसर में मंगलाचरण ध्वनि स्वर संगीत के गायन के लिए निम्नलिखित मंगलाचरण ध्वनियों को गूंजायमान करने हेतु अनुमोदित कियाः–

1– गणपति अथर्वशीर्ष
2– वाक्सूक्त
3– श्रीसरस्वती स्तोत्र
4– गायत्री मन्त्र
5– महामृत्युंञजय मन्त्र
6– चर्पटपंञजरिका स्तोत्र
7– संकटा स्तुति

कार्यकारिणी परिषद् ने मंगलाचरण ध्वनि स्वर संगीत के गायन के लिए समिति द्वारा प्रस्तावित नियमों को भी **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया।

<u>मद संख्या–21:</u> विश्वविद्यालय सभागार में दिसम्बर, 2015 में गैर–शिक्षक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के अवसर पर आयोजित विदाई समारोह के दौरान **मुक्त मंच** के आयोजन हेतु मामला कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने गैर–शिक्षक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के अवसर पर आयोजित विदाई समारोह के दौरान **मुक्त मंच** के आयोजन को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस **मुक्त मंच** में विश्वविद्यालय के शिक्षक व गैर–शिक्षक कर्मचारी अपने सुझाव व समस्याएं शालीनतापूर्वक मंच पर विराजमान प्राधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे। विश्वविद्यालय कर्मचारियों के अतिरिक्त सेवानिवृत्त प्राध्यापकगण, अधिकारी एवं कर्मचारीगण एवं देश के विभिन्न राज्यों से कुछ प्रख्यात विद्वानों को भी इस मंच पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जायेगा ताकि वे अपने बहुमूल्य विचार/सुझाव विश्वविद्यालय समुदाय के साथ सांझा कर सकें।

कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त विदाई समारोह का समापन अपराह्न 1–00 बजे तक करना सुनिश्चित करें ।

मद संख्या–22: शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 9–12–2015 की सिफारिशों को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु मामला प्रस्तुत करने बारे।

......

कार्यकारिणी परिषद् ने शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति की दिनांक 9–12–2015 को हुई बैठक की सिफारिशों को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया।

मद संख्या–23: डॉ0 (श्रीमती)आशीमा शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (जो पहले स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत थी तथा वर्तमान में फिजियोलोजी विभाग, आई.जी.एम.सी. शिमला में सीनियर रैजीडैन्ट के पद पर नियुक्त हैं)को उक्त विभाग में अन्तर्लयन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गए अनापत्ति प्रमाण–पत्र व तत्पश्चात् उक्त विभाग में स्थायी अन्तर्लयन की कार्यकारिणी परिषद् द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति हेतु।

......

कार्यकारिणी परिषद् ने डॉ0 (श्रीमती)आशीमा शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जो वर्तमान में प्रदेश सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं और इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के फिजियोलोजी विभाग में सीनियर रैजीडैन्ट के पद पर नियुक्त हैं को उक्त विभाग में अन्तर्लयन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण–पत्र व तत्पश्चात् उक्त विभाग में स्थायी अन्तर्लयन हेतु अपनी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि डॉ0 (श्रीमती) आशीमा शर्मा द्वारा रिक्त किये गये पद पर चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति करने हेतु मामला वित्त समिति के समक्ष रखा जाये।

मद संख्या–24: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वित्त समिति की दिनांक 14–12–2015 को हुई बैठक की सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने वित्त समिति की दिनांक 14–12–2015 को हुई बैठक की सिफारिशों को **संलग्नक** के अनुरूप निम्नलिखित टिप्पणी के साथ अनुमोदित किया:–

(मद संख्या–9): सदस्य श्री देवी राम वर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय के निर्माण मण्डल में कार्यरत इलैक्ट्रिशियन एवं वर्क–इन्सपैक्टर के पदों के पदनाम को हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप नए पदनाम में परिवर्तित किया जाये। जिस पर कुलपति महोदय ने कहा कि इस मामले में श्री देवी राम जी अलग से मसौदा तैयार कर कुलसचिव को प्रस्तुत करें ताकि मामले का परीक्षण किया जा सके।

(मद संख्या–12): सदस्य श्री देवी राम वर्मा ने कहा कि इस मद के बिन्दु–2 पर वित्त समिति ने विश्वविद्यालय सुरक्षा कर्मियों को हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 1980 में वित्त समिति की सिफारिशों व कार्यकारिणी परिषद् के अनुमोदन के उपरान्त विश्वविद्यालय सुरक्षा कर्मियों को पुलिस विभाग के समकक्ष कर वेतनमान प्रदान किये थे को वित्त समिति ने व्यक्तिगत वेतन के तौर पर जारी रखने और भविष्य में इसे इनके अर्जित वार्षिक वृद्धि में समाहित करने की जो सिफारिश की है वह नियमों के विपरीत है और यदि ऐसा किया जाता है तो इस मामले में विश्वविद्यालय को कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा अतः वित्त समिति की सिफारिशों पर पुनर्विचार कर मामले को पुनः वित्त समिति के समक्ष रखा जाये। जिस पर कार्यकारिणी परिषद् द्वारा मामले को कानूनी राय सहित पुनः वित्त समिति के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

(मद संख्या–15): सदस्य श्री देवी राम वर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रावासों में कार्यरत 13 मैस हैल्परों के लिए पदों का सृजन किया जाये क्योंकि यह मैस हैल्पर कई वर्षों से छात्रावासों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यदि ऐसा सम्भव नहीं है तो इन मैस हैल्परों को विश्वविद्यालय में उपलब्ध इनके समकक्ष पदों के विरूद्ध समायोजित किया जाये।

मद संख्या–25: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पत्र संख्याः F-1-2/2009(EC/PS)B(I) Vol-II दिनांक 13–06–2013 को जारी विनियम 2010 के वाक्यांश सं0 6.0.1, 6.0.2, 7.3.0 व अपैंडिक्स–III टेबल–1 की श्रेणी I, II व III में किए गए संशोधनों को कार्यकारिणी परिषद् की अनुमति हेतु प्रस्तुत करने बारे।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पत्र संख्याः F-1-2/2009(EC/PS)B(I)Vol-II दिनांक 13–06–2013 को जारी विनियम 2010 के वाक्यांश सं0 6.0.1, 6.0.2, 7.3.0 व अपैंडिक्स–III टेबल–1 की श्रेणी I, II व III में किए गए संशोधनों व शुद्धिपत्र को विश्वविद्यालय में तत्काल प्रभाव से अपनाने के लिए **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया।

मद संख्या–26: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष सहायक आचार्यों की नियुक्ति से सम्बन्धित दिनांक 17–10–2015 की मद संख्या–2 के अंतर्गत लिए गए निर्णय की अनुपालना में वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करने बारे।

......

कार्यकारिणी परिषद् ने विज्ञापन संख्याःRectt. 1/2014 दिनांक 8–9–2014 द्वारा विज्ञापित विभिन्न पदों को भरने के लिए प्रदान की गई अतिरिक्त समयावधि जो दिनांक 7–3–2016 को समाप्त हो रही है दिनांक 8–3–2016 से आगामी छः महीने और बढ़ाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। कुलसचिव द्वारा परिषद् को यह जानकारी भी दी कि कार्यकारिणी परिषद् की दिनांक 17–10–2015 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों से सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए अपनाये गये मानदंडों बारे सूचना उपलब्ध करवोन का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अब तक पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला और जबाहर लाला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से ही सूचना प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों को अपनाने बारे सूचित किया है। उन्होंने कार्यकारिणी परिषद् को यह भी जानकारी दी कि विश्वविद्यालय द्वारा महाधिवक्ता, हिमाचल प्रदेश से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से सम्बन्धित कानूनी राय प्राप्त हो गई है। विस्तृत चर्चा के बाद कार्यकारिणी परिषद् ने मामले के परीक्षण के लिए निम्नलिखित उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लियाः–

1– प्रति कुलपति	–अध्यक्ष
2– अधिष्ठाता अध्ययन	–सदस्य
3– आचार्य एम.एस. चौहान, अधिष्ठाता योजना एवं शिक्षक मामले	–सदस्य
4– आचार्य रघुविन्दर सिंह, विधि विभाग	–सदस्य

उपरोक्त समिति 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी।

मद संख्या–27: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कोर्सों के फॉर्म व आवेदन प्रपत्रों (Proforma) के निर्धारित शुल्कों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हेतु मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकन एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

......

कार्यकारिणी परिषद् ने मद को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या–28: विश्वविद्यालय के साफ–सफाई के लिए पहले से बाह्मकरण किये गये छात्रावासों के साफ–सफाई का कार्य नई निविदाएं आमंत्रित करने तक मै0 सुलभ इन्टरनैशनल, चण्डीगढ़ से करवाने के लिए मामला कार्यकारिणी परिषद् की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने साफ–सफाई के लिए पहले से बाह्यकरण किये गये छात्रावासों के साफ–सफाई का कार्य नई निविदाएं आमंत्रित करने तक मै0 सुलभ इन्टरनैशनल, चण्डीगढ़ से करवाने को अपनी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय में मै0 सुलभ इन्टरनैशनल द्वारा साफ–सफाई की ठीक व्यवस्था को देखते हुए साफ–सफाई के पहले से वाह्यकरण किये गये छात्रावासों के अतिरिक्त समिति द्वारा प्रस्तावित छात्रावासों के साफ–सफाई का कार्य मै0 सुलभ इन्टरनैशनल, चण्डीगढ़ को वर्तमान में उनसे किए गए अनुबन्ध की शर्तों पर वाह्यकरण करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–29: श्री तारा चन्द, सहायक सुरक्षा अधकारी एवं अग्निशमन अधिकारी द्वारा पदोन्नति के समय लगाई गई आवश्यक प्रशिक्षण करने की शर्त को सेवाकाल के दौरान पूर्ण न करने पर छूट देने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने बारे।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने श्री तारा चन्द, सहायक सुरक्षा अधिकारी एवं अग्निशमन अधिकारी के सेवानिवृत्ति के कार्यकाल जो लगभग दो महीने शेष है को मध्यनजर रखते हुए उनके उक्त पद पर की गई पदोन्नति के समय लगाई अग्निशमन प्रशिक्षण की शर्त छूट में देने का निर्णय लिया।

मद संख्या–30: भर्ती एवं पदोन्नति समिति की अनुभाग अधिकारी, उसके समकक्ष तथा उससे ऊपर की श्रेणियों के लिए दिनांक 23–1–2016 दोपहर 12–00 बजे हुई बैठक की कार्यवाही को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ हेतु।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने अनुभाग अधिकारी, उसके समकक्ष तथा उससे ऊपर की श्रेणियों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति समिति की दिनांक 23–01–2016 को हुई बैठक की कार्यवाही को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया।

मद संख्या–31: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष शिक्षक व गैर–शिक्षक पदों की नियुक्ति (सीधी भर्ती व जीवन वृत उन्नति योजना) हेतु आयोजित साक्षात्कार में चयन समिति की सिफारिशें प्रस्तुत करने बारे।

.....

सभापति ने चयन समिति की सिफारिशें को परिषद में पढ़ कर सुनाया। सिफारिशें निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष 2012 (विज्ञप्ति संख्या 3/2011 दिनांक 21.10.2011)

I- सीधी भर्ती द्वाराः

अ. शिक्षक पद

1. आचार्य, जीव विज्ञान विभाग, हि.प्र. वि. शिमला–5

चयन समिति ने निम्नलिखित उम्मीदवारों की आचार्य, जीव विज्ञान विभाग के पदों पर नियुक्ति हेतु सिफारिश कीः–

i) डा. आनंद सागर
ii) डा. देश राज ठाकुर

कार्यकारिणी परिषद् की बैठक दिनांक 30.11.2015 की मद संख्या 2 के अंतर्गत गठित जांच समिति द्वारा उल्लेखित डा. आनंद सागर के बारे में नियुक्ति पत्र देने से पूर्व उनके प्रमाण पत्रों की जांच कर ली जाए जिसमें भिन्न–भिन्न प्रमाण पत्रों में भिन्न–भिन्न नाम दर्शाए गए हैं।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

2. आचार्य, गणित विभाग, हि.प्र.वि. शिमला–5:

कार्यकारिणी परिषद ने गणित विभाग में आचार्य पद के साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अभ्यार्थियों की योग्यताएं जांच करने के लिए मद संख्या 14 के अंतर्गत अपने निर्णय दिनांक 01.11.2013 द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के दृष्टिगत प्रकरण को स्थगित करने का निर्णय लिया।

ब. गैर–शिक्षक पद

1. Information Scientist (Library) under INFLIBNET Programme:

चयन समिति ने निम्नलिखित उम्मीदवार की Information Scientist (Library) under INFLIBNET Programme के पद पर नियुक्ति हेतु सिफारिश कीः–

i) सुश्री शीबा परमार

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

2. प्रोग्रामर, यू.आई.आई.टी.

चयन समिति ने निम्नलिखित उम्मीदवार की प्रोग्रामर, यू.आई.आई.टी. के पद पर नियुक्ति हेतु सिफारिश कीः–

i) सुश्री श्वेता राजपूत

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

3. सहायक पुस्तकाध्यक्ष, हि.प्र.वि. क्षेत्रीय केन्द्र, धर्मशाला

चयन समिति ने इस पद के लिए कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं पाया।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

वर्ष 2015–16 (विज्ञप्ति संख्या भर्ती–1/2014 दिनांक 08.09.2014)

अ. सीधी भर्ती द्वाराः

1. आचार्य, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, हि.प्र. वि. शिमला–5ः

चयन समिति ने निम्नलिखित उम्मीदवार की आचार्य, पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग, हि. प्र.वि. शिमला–5 के पद पर नियुक्ति हेतु सिफारिश कीः–

i) डा. शशि कांत

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

2. सह–आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5ः

चयन समिति ने निम्नलिखित उम्मीदवार की सह आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, हि.प्र.वि. शिमला–5 के पद पर नियुक्ति हेतु सिफारिश कीः–

i) डा. हरीश कुमार ठाकुर पुत्र श्री टी.सी. ठाकुर

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

3. **<u>सह आचार्य, राजनीति विभाग, अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केद्र, हि.प्र. वि. शिमला–5:</u>**

चयन समिति ने निम्नलिखित उम्मीदवार की सह आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5 के पद पर नियुक्ति हेतु सिफारिश कीः–

i) डा. (श्रीमती) भावना देवी झारटा पुत्री श्री पोल्हो राम

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

4. **<u>सह आचार्य, विधि विभाग, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5:</u>**

चयन समिति ने निम्नलिखित उम्मीदवार की सह आचार्य, विधि विभाग, हि.प्र.वि. शिमला–5 के पद पर नियुक्ति हेतु सिफारिश कीः–

i) डा. ललित मोहन सिंह डडवाल

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

5. **<u>सह आचार्य, इतिहास विभाग, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5:</u>**

चयन समिति ने निम्नलिखित उम्मीदवार की सह आचार्य, इतिहास विभाग, हि.प्र.वि. शिमला–5 के पद पर नियुक्ति हेतु सिफारिश कीः–

i) डा. बाल कृष्ण पुत्र श्री शिव राम

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

6. <u>सह आचार्य, इतिहास विभाग, अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5ः</u>

चयन समिति ने निम्नलिखित उम्मीदवार की सह आचार्य, इतिहास विभाग, अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5 के पद पर नियुक्ति हेतु सिफारिश कीः–

i) डा. बाल कृष्ण पुत्र श्री शिव राम

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

7. <u>सह आचार्य, मनोविज्ञान विभाग, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5ः</u>

चयन समिति ने निम्नलिखित उम्मीदवार की सह आचार्य, मनोविज्ञान विभाग, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5 के पद पर नियुक्ति हेतु सिफारिश कीः–

i) डा. अनिता शर्मा

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

8. <u>सह आचार्य, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5</u>

चयन समिति ने इस पद के लिए कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं पाया।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

9. <u>सह आचार्य, गणित विभाग, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5ः</u>

चयन समिति ने निम्नलिखित उम्मीदवार की सह आचार्य, गणित विभाग, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5 के पद पर नियुक्ति हेतु सिफारिश कीः–

i) डा. ज्ञान चन्द पुत्र श्री अनंत राम

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

10. <u>सह आचार्य, वाणिज्य विभाग, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5:</u>

चयन समिति ने निम्नलिखित उम्मीदवार की सह आचार्य, वाणिज्य विभाग, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5 के पद पर नियुक्ति हेतु सिफारिश कीः–

i) डा. देविन्द्र शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा
ii) डा. राज कुमार सिंह पुत्र श्री गिरधारी लाल

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

11. <u>सहायक आचार्य, योग विभाग, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5:</u>

चयन समिति ने निम्नलिखित उम्मीदवार की सहायक आचार्य, योग विभाग, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5 के पद पर नियुक्ति हेतु सिफारिश कीः–

i) डा. अर्पिता नेगी पुत्री श्री बी.एस. नेगी
ii) डा. बिशम्भर सिंह रंजन पुत्र श्री चन्द राम

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

12. <u>सहायक आचार्य (योगाचार्य), योग विभाग, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5:</u>

चयन समिति ने निम्नलिखित उम्मीदवार की सहायक आचार्य (योगाचार्य), योग विभाग, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5 के पद पर नियुक्ति हेतु सिफारिश कीः–

i) डा. सत्य प्रकाश पाठक पुत्र श्री विष्णुचरण पाठक

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

ब. जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत सह आचार्य से आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतुः–

1- जैव प्रौद्योगिकी विभाग, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5ः

i) डा. अरविंद कुमार भट्ट

डा. अरविंद कुमार भट्ट, सह आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 22.03.2015 से आचार्य के पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई।

ii) डा. वामिक आज़मी

डा. वामिक आज़मी, सह आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 07.04.2015 से आचार्य के पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

2- राजनीति विज्ञान, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5ः

i) डा. रमेश चन्द चौहान

डा. रमेश चन्द चौहान, सह आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 01.06.2012 से आचार्य के पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई।

ii) डा. कमल मनोहर

डा. कमल मनोहर, सह आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 31.03.2013 से आचार्य के पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

3- विधि, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5ः

i) डा. संजय सिंधु

डा. संजय सिंधु, सह आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 06.03.2015 से आचार्य के पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

4- मनोविज्ञान, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5:

i) डा. रोशन लाल ज़िन्टा

डा. रोशन लाल ज़िन्टा, सह आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 26.12.2014 से आचार्य के पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

5- Agriculture Economics (Agro Economic Research Centre, HPU, Shimla-5):

i) डा. रणवीर सिंह

डा. रणवीर सिंह, Sr. Research Officer /Associate Professor को जीवनवृत उन्नति योजना के अंर्तगत दिनांक 12.09.2007 से आचार्य के पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई।

ii) डा. चन्द्र शेखर वैद्य

डा. चन्द्र शेखर वैद्य, Sr. Research Officer/Associate Professor को जीवनवृत उन्नति योजना के अंर्तगत दिनांक 01.04.2008 से आचार्य के पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

6- लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र, शिमला–5:

i) डा. (श्रीमती) अनुपमा सिंह

डा. (श्रीमती) अनुपमा सिंह, सह आचार्य, को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 06.03.2015 से आचार्य के पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

7- लोक प्रशासन, हि.प्र. वि. क्षेत्रीय केन्द्र, धर्मशालाः

i) डा. लायक राम वर्मा

डा. लायक राम वर्मा, सह आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 08. 03.2015 से आचार्य के पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

8- गणित, स्नातकोतर केन्द्र, हि.प्र.वि. शिमला–5ः

i) डा. ज्योति प्रकाश

डा. ज्योति प्रकाश, सह आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 05. 08.2014 से आचार्य के पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

9- शारीरिक शिक्षा विभाग, हि.प्र.वि. शिमला–5ः

i) डा. रमेश कुमार चौहान

डा. रमेश कुमार चौहान, सह आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 01. 01.2013 से आचार्य के पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया ।

10- जीव विज्ञान विभाग, हि.प्र.वि. शिमला–5ः

i) डा. देश राज ठाकुर

डा. देश राज ठाकुर, सह आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 23. 02.2015 से आचार्य के पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

11- <u>कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, हि.प्र.वि. शिमला–5:</u>

i) डा. अमन कुमार

डा. अमन कुमार, सह आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 21.10. 2014 से आचार्य के पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

12- <u>वाणिज्य विभाग, हि.प्र.वि. शिमला–5:</u>

i) डा. ओम प्रकाश

डा. ओम प्रकाश, सह आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 05. 03.2015 से आचार्य के पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई।

ii) डा. कुलभूषण चंदेल

डा. कुलभूषण चंदेल, सह आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 06.03.2015 से आचार्य के पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

13- <u>वाणिज्य विभाग, हि.प्र.वि. सांध्यकालीन अध्ययन केन्द्र, शिमला–1:</u>

i) डा. देविन्द्र शर्मा

डा. देविन्द्र शर्मा, सह आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 04. 03.2015 से आचार्य के पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

स. **<u>जीवनवृत उन्नति योजना के अंर्तगत सहायक आचार्य से सह आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतुः–</u>**

14- <u>पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, हि.प्र.वि.शिमला–5</u>

i) डा. विकास डोगरा

डा. विकास डोगरा, सहायक आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 17.02.2015 से सह आचार्य के पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

15- <u>कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, हि.प्र.वि.शिमला–5ः</u>

i) डा. (श्रीमती) अनीता गणपति

डा. (श्रीमती) अनीता गणपति, सहायक आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 22.02.2014 से सह आचार्य के पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

16- <u>सह–आचार्य (प्रोग्रामिंग)–एवं–प्रोग्रामर, हि.प्र.वि.शिमला–5ः</u>

i) डा. धीरेन्द्र शर्मा

डा. धीरेन्द्र शर्मा, सहायक आचार्य (प्रोग्रामिंग)–एवं–प्रोग्रामर को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 17.02.2014 से सह आचार्य (प्रोग्रामिंग) एवं प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

17- <u>वाणिज्य विभाग, हि.प्र. विश्वविद्यालय सांध्यकालीन अध्ययन केन्द्र, शिमला–1ः</u>

i) डा. (श्रीमती) आरती पंडित धवन

डा. (श्रीमती) आरती पंडित धवन, सहायक आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 03.03.2015 से सह आचार्य के पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों को अनुमोदित किया।

18- <u>रसायन विभाग, हि.प्र. वि. शिमला–5:</u>

i) डा. बलजीत सिंह

डा. बलजीत सिंह, सहायक आचार्य को जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत दिनांक 25. 05.2014 से सह आचार्य के पद पर पदोन्नति की सिफारिश की गई।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों का अनुमोदन किया।

<u>मद संख्या–32:</u> कार्यकारिणी परिषद् की दिनांक 30–11–2015 को हुई बैठक में यथा–स्थान मद के अधीन लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में रूसा प्रणाली के अन्तर्गत आयोजित एवं घोषित परीक्षा परिणामों की वस्तुस्थिति का ब्यौरा परिषद् के अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

......

कार्यकारिणी परिषद् ने रूसा प्रणाली के अन्तर्गत आयोजित परीक्षाओं एवं इनके घोषित परीक्षा परिणामों के प्रस्तुत ब्यौरे का अवलोकन करने पर यह पाया कि कुछ महाविद्यालयों से इन्टरनल असैसमैंट विश्वविद्यालय में प्राप्त न होने के कारण कई कक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुए हैं। अतः कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि जिन महाविद्यालयों से इन्टरनल असैसमैंट प्राप्त नहीं हुई है उनसे दूरभाष/पत्राचार कर इन्टरनल असैसमैंट भेजने के लिए कहा जाये और रूके हुए परीक्षा परिणामों को शीघ्रातिशीघ्र घोषित किया जाये। इस पर सचिव(शिक्षा)हिमाचल प्रदेश सरकार एवं सदस्य कार्यकारिणी परिषद् ने कहा किया कि जिन महाविद्यालयों से इन्टरनल असैसमैंट प्राप्त नहीं हुई है उनकी सूची उन्हें उपलब्ध करवाई जाये ताकि वे इन महाविद्यालयों के प्राचार्यों से इन्टरनल असैसमैंट यथाशीघ्र भेजने के निर्देश दे सकें।

<u>यथा–स्थान चर्चा</u>

सम्माननीय सदस्य श्री हरीश जनारथा ने कहा कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण क्षेत्रीय केन्द्र धर्मशाला से डॉ0 राजिन्द्र वर्मा एवं डॉ0(श्रीमती)रूना मैहता, विधि सहायक आचार्यों को अस्थायी तौर पर विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य के लिए स्थानान्तरित किया गया है अतः इन शिक्षकों को स्थायी तौर पर विश्वविद्यालय के विधि विभाग में संविलीन किया जाये। जिस पर परिषद् ने चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी चल रही है अतः क्षेत्रीय केन्द्र धर्मशाला से स्थानान्तरित उपरोक्त शिक्षकों को विश्वविद्यालय के विधि विभाग में संविलीन कर लिया जाये। क्षेत्रीय केन्द्र के लिए नये पदों के सृजन हेतु मामला वित्त समिति के समक्ष रखा जाये।

अन्त में बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई ।

(डॉ0 पंकज ललित)
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

हस्ता0/–

(आचार्य ए0डी0एन0 बाजपेयी)
कुलपति/सभापति